भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1576
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
1576. श्री धर्मबीर सिंह:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार जल-संकट से ग्रस्त और जल की अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है;
(ख) यदि हाँ, तो किन राज्यों ने इस पहल को लागू किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इसे लागू करना आवश्यक समझती है;
(ग) क्या धान की बजाय मोटे अनाज या दालों की खेती करने पर किसानों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन या बोनस दिया जाता है, यदि हाँ, तो फसल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कृषि विस्तार कार्यक्रम किसानों को कम जल-उपयोग वाली फसलों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं और यदि हाँ, तो विशेषकर हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या शुष्क जिलों में जैविक खेती और देशी फसल किस्मों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट पैकेज या योजनाएँ हैं; और
(च) क्या सफल फसल विविधीकरण से संबंधित कहानियों का दस्तावेजीकरण किया गया है और उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी दोहराया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तीन राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारों के माध्यम से प्रधानमंत्री- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है ताकि प्राथमिक रूप से पानी की अधिक खपत वाली धान की फसल वाले क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक फ़सलों जैसे कि दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज और कपास की खेती की जा सके। सी.डी.पी. के अंतर्गत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शनों के लिए कार्यान्वयनकर्ता राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है जैसे दलहन के लिए 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का और जौ की किस्म के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड मक्का के लिए 11,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और पोषक अनाज के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के अंतर्गत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्रीअन्न), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन के अंतर्गत तिलहन और समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के अंतर्गत बागवानी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करती है। राज्य, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) के अनुमोदन से पीएम-आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

(घ) से (च) एग्रीकल्चर टेक्नॉलजी मैनेजमेंट एजेंसी (ए.टी.एम.ए.) योजना हरियाणा सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में किसानों के बीच नई तकनीकों और उत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले कार्यक्षेत्रों जैसे फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियाँ और प्राकृतिक खेती आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएँ, जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफ़िकेशन और मार्केटिंग तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं। इन योजनाओं का प्राथमिक फ़ोकस आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है। दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने वर्ष 2014 से 2025 के दौरान 328 सूखा सहिष्णु किस्में (ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज़) और 1064 वर्षा सिंचित किस्में विकसित की हैं।

फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) के अतिरिक्त, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के सभी ज़िलों में सिर्फ़ धान की खेती की जगह विविधता लाने के लिए वर्ष 2020 में "मेरा पानी मेरी विरासत" नामक राज्य योजना आरंभ की है।

*****